राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक प. 4(1)कार्मिक/क–2/अं.प्र./2006 जयपुर, दिनांक 05-10-2018

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
   प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/
   विशिष्ठ शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/
   शासन उप सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष(संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स सहित)।
3. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ।

परिपत्र

विषयः–राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियों में अधिरोपित विभिन्न प्रकार के दण्ड़ों के लिए प्रभावी तिथि के निर्धारण के संबंध में।

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियों में राज्य सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों के दोषी पाये जाने पर अधिरोपित परिनिन्दा का दण्ड़, संचयी/असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकना, पदोन्नति रोकना, आर्थिक हानि की वसूली एवं निम्नतर सेवा ग्रेड के निचले पद पर अवनति कर देना आदि दण्ड़ादेश का पदोन्नति पर पड़ने वाले प्रभाव को समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26.07.2006 द्वारा सुस्पष्ट किया गया है।

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा कार्मिकों के विरूद्व पारित दण्ड़ादेश की दिनांक के आधार पर भी पदोन्नति वर्ष से गत सात वर्षो के अन्तर्गत गणना करते हुए दण्ड़ादेश के प्रभाव के कारण पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है। कार्मिक के विरूद्व आरोप–पत्र जारी होकर विभागीय जांच विचाराधीन होने की स्थिति में डी.पी.सी. की अभिशंषाओं को लिफाफे में बन्द किया जाता है। कतिपय विभागों द्वारा यह मार्गदर्शन चाहा जाता है कि कार्मिक को निम्नतर सेवा ग्रेड पद में अवनत किये जाने एवं पदोन्नति रोकने के दण्ड़ से दण्ड़ित किये जाने के दण्ड़ों के अतिरिक्त अन्य दण्ड़ के संबंध में यह उल्लेखित नहीं है कि इसके प्रभाव को लागू करने के लिए क्या रेफरेंश दिनांक रखी जावे क्योंकि आरोप–पत्र की दिनांक एवं दण्ड़ादेश की दिनांक के मध्य काफी प्रकरणों में बहुत अधिक अंतराल भी होता है।

उक्त बिन्दुओं के संबंध में इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26.07.2006 के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नतर सेवा ग्रेड में अवनत किये जाने अथवा पदोन्नति रोके जाने के दण्ड़ के अतिरिक्त अन्य दण्ड़ यथा परिनिन्दा, संचयी/असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकना व आर्थिक हानि की वसूली आदि दण्ड़ों में आरोप–पत्र जारी करने की दिनांक ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा इसी आधार पर पदोन्नति की अनुशंषा बन्द लिफाफे में रखी जाती है और उसमें पारित दण्ड़ादेश का प्रभाव भी आरोप–पत्र जारी करने की दिनांक से प्रभावी माना जावे। इसी प्रकार उपरोक्त दण्ड़ों के संदर्भ में अपीलीय दण्ड़ादेश के लिए भी आरोप–पत्र जारी दिनांक के आधार पर ही पदोन्नति पर प्रभाव रहेगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रक्रिया पूर्व में सम्पन्न हो चुकी विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर लागू नहीं होगी तथा इस आधार पर रिव्यू भी नहीं किया जावेगा।

शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. रजिस्ट्रार, राज. सिविल सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
3. निबन्धक, राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर।

संयुक्त शासन सचिव

59/2018